प्रतिलिपि आदेश दिनांक 22-05-18 न्यायालयःद्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)

जमानत आवेदन क्रमांक : 178 / 2018

रविराज सिंह पुत्र भारत सिंह आयु 26 साल जाति जाटव निवासी मानपुरा तहसील मेहगांव जिला–भिण्ड (म0प्र0)

शासन पुलिस थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड (म०प्र०) — अनावेदक

22.05.18

आवेदक / आरोपी रविराज सिंह द्वारा अधिवक्ता श्री रामेन्द्र सिंह कौरव उपस्थित।

राज्य द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री बी.एस.बघेल उपस्थित। पुलिस थाना गोहद चौराहा, जिला–भिण्ड, के अपराध कमांक 87 / 18 अंतर्गत धारा 379 भा.द.स. की केस डायरी प्रतिवेदन सहित प्राप्त। अवलोकन किया गया।

उभय पक्ष को जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 द0प्र0सं० के संदर्भ में सुना गया।

आवेदक / आरोपी की ओर से व्यक्त किया गया है कि यह उसका प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र है। इसके अलावा माननीय उच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी न्यायालय में न तो कोई जमानत आवेदन लंबित है, न ही निराकृत किया गया है। समर्थन में आवेदक के पिता भारतसिंह का शपथपंत्र प्रस्तुत किया गया है, खण्डन के अभाव में सत्य मान्य किया जाता है 🔊

आवेदक की ओर से व्यक्त किया गया है कि आवेदक स्थानीय निवासी होकर सभ्रान्त व्यक्ति होकर नवयुवक है। पुलिस थाना गोहद चौराहा द्वारा झूठा अपराध पंजीबद्ध किया गया है जबकि उक्त अपराध से आवेदक का कोई संबंध एवं सरोकार नहीं है। आवेदक न्यायिक निरोध में है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा ४३७ द०प्र०सं० का आवेदन दिनांक 14–05–2018 को निरस्त कर दिया गया है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है। आवेदक अपने परिवार का भरण-पोषण करता है यदि अधिक दिनों तक निरोध में रहा तो उसका परिवार भूखों मरने की स्थिति में आ जायेगा। उसके फरार होने एवं साक्ष्य को प्रभावित किये जाने की संभावना नहीं है तथा माननीय न्यायालय द्वारा निर्देशित शर्तों का पालन करने के लिये तैयार है। अतः प्रतिभूति पर मुक्त किये जाने का निवेदन किया है। समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिका दिनांक 14–05–18 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है।

अभियोजन की ओर से आवेदन का विरोध करते हुय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

केस डायरी एवं केफियत अनुसार फरियादी राजवीर सिंह जाटव द्वारा दिनांक 09-05-18 को रिपोर्ट की कि वह मोटर सायिकल होण्डा साइन कमांक एम.पी.30 एम.जी. 5325 से सुमेर कॉलोनी गोहद बौराहा आया था और समय करीबन 12:30 बजे मोटर सायिकल कमलेश के घर के सामने खड़ी कर घर के अंदर चला गया और कुछ समय बाद आया तो मोटर सायिकल मौके पर नहीं मिली थी, जिसका आसपास तलाश करने पर कोई पता नहीं चला। उक्त रिपोर्ट पर से थाना गोहद चौराहा द्वारा अज्ञात के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गयी एवं विवेचना के दौरान उक्त मोटर सायिकल आवेदक रिवराज से जब्त की गयी। आवेदक के मैमोरेण्डम कथन अनुसार सह-अभियुक्त के साथ मिलकर घटना कारित की गयी।

केस डायरी के अवलोकन से प्रकट होता है कि आवेदक / अभियुक्त के विरूद्ध भा0द0सं की धारा 379 के तहत दण्डनीय अपराध कारित करने का आरोप है। उक्त अपराध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय है। आरोपित अपराध मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सजा से दण्डनीय नहीं है। आवेदक / अभियुक्त दिनांक 10-05-18 से न्यायिक निरोध में हैं। विवेचना पूर्ण हो चुकी है।

आवेदक की निरोध अविध, केस हायरी में आये तथ्य एवं संपूर्ण परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रकरण के गुण दोषों पर कोई टिप्पणी किये बगैर आवेदक / अमियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है। विचारोपरांत प्रतिभूति आवेदन स्वीकार करते हुये आदेशित किया जाता है कि यदि आवेदक / अमियुक्त रिवराज सिंह द्वारा विचारण न्यायालय की संतुष्टि योग्य 10,000 / — रूपये की दो सक्षम प्रतिभूति एवं 20,000 / — रूपये का स्वयं का बंध—पत्र प्रस्तुत किया जावे तो उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रतिभूति पर रिहा किया जावे :-

- यह कि, विचारण के दौरान अभियोजन साक्षीगण को प्रभावित नहीं करेगा तथा अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा।
- 2. यह कि, पुनः समान प्रकृति का अपराध नहीं करेगा तथा नियत पेशी पर उपस्थित होता रहेगा। आदेश की प्रति सहित केस डायरी संबंधित आरक्षी केन्द्र भेजी जावे। आदेश की एक प्रति संबंधित न्यायालय को भेजी जावे।

्रजं कर विहित समयावधि
. जावे।
सही /—
(एच.के. कौशिक)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,गोहद
जिला भिण्ड(म०प्र०)

ATTHER A PROPERTY AND A PROPERTY OF THE PROPER